

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी-डॉ०सूरज सिंह नेगी

अपील संख्या 62/2019

तारीख रजू 26.12.2019

लखन पुत्र बीरबल जाति मीना निवासी खण्डेवला तह.खण्डार ।

--- अपीलार्थी

बनाम

सरकार जरिये नायब तहसीलदार खण्डार ।

----- रेस्पोंडेंट

निर्णय

दिनांक.....31-3-2021

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार खण्डार द्वारा मिसल संख्या 128/2019 में पारित आदेश दिनांक 07.10.2019 के विरुद्ध प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम खण्डेवला के आराजी खसरा नम्बर 40 रकबा 2.00 बीघा किस्म गैर चरागाह पर संवत् 2076 में अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर जोत लगाने का कर्ता मानकर अतिक्रमणित भूमि से बेदखल करने, शास्ति आरोपित करने के साथ साथ पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए 90 दिवस के साधारण सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट की तलबी जरिये सम्मन की गई तथा अपीलार्थी से संबंधित मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्पोंडेंट की ओर से राजकीय परोकार उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की अपीलार्थी आदेश संबंधी पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में कथन किया है कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि व तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। यह है कि अपीलार्थी को वाके ग्राम पाली के आराजी खसरा नम्बर 82 पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानते हुये 3 माह का सिविल कारावास एवं पैनल्टी तथा बेदखली से दण्डित किया है उक्त निर्णय रूह दर मिसल एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों व तथ्यों से परे होने के कारण निरस्तनीय है। यह है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एक मात्र हल्का पटवारी कि मिथ्या रिपोर्ट पर पारित किया है, अपीलार्थी को पटवारी से जिरह का कोई अवसर प्राप्त नहीं हुआ है, वास्तविकता यह है कि उक्त भूमि के पास प्रार्थी के कब्जे काशत की खातेदारी की भूमि है पृथक से कोई अतिक्रमण नहीं किया है। यह है कि उक्त प्रकरण में अपीलार्थी को नोटिस वास्ते जवाब दिया गया था उसी के आधार पर बिना मौका कब्जा जॉच

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर




किये यह कार्यवाही सम्पादित की है तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पूर्व में पारित प्रोसेडिंग भी सलंगन नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की गयी है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्तनीय है। यह भी निवेदन किया है कि पाश्चातवर्ती के सम्बन्ध अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पूर्व में किये अतिक्रमण के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य नहीं होने से अपीलान्त को पश्चातवर्ती अतिचारी नहीं माना जा सकता। अन्त में वकील अपीलान्त द्वारा अपील स्वीकार कर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.10.2019 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए परोकार सरकार ने बहस में कथन किया कि अपीलार्थी को विधिवत नोटिस जारी करने के पश्चात ही अपीलार्थी को सुनवाई सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिये जाने व पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित हो जाने के पश्चात ही अपीलार्थी निर्णय पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं है। अतः अपील अपीलान्त खारिज की जाकर अदालत मातहत का निर्णय यथावत रखा जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा अपीलार्थी निर्णय की मूल पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अपीलार्थी को धारा 91(3) के तहत नोटिस जारी किया गया है जिसपर अपीलान्त की लडकी को नोटिस तामील करायी गयी अपीलान्त बावजूद सूचना अदालत मातहत के समक्ष दिनांक 01.10.2019 को उपस्थित नहीं हुआ। अतः वकील अपीलार्थी का यह कथन कि अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर नहीं दिया गया है मान्य नहीं है। जहां तक अतिक्रमण आराजी पर अपीलार्थी के पश्चातवर्ती अतिचारी होने का प्रश्न है तो अदालत मातहत की पत्रावली में पूर्व में किये गये अतिक्रमण के संबंध में पारित निर्णय जिसमें भौतिक रूप से अपीलार्थी को बेदखल किया गया हो इस संबंध में कोई दस्तावेज व पूर्व के किये गये अतिक्रमण के संबंध में पटवारी रिपोर्ट, नोटिस व अन्य दस्तावेज संलग्न नहीं है। अपीलान्त द्वारा बहस में पश्चातवर्ती के सबूत पत्रावली में सलंगन नहीं होने के कथन से मैं सहमत हूँ। मेरी राय में अपील अपीलान्त स्वीकार योग्य पायी जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है जिसमें नायब तहसीलदार खण्डार द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.10.2019 में बेदखली, शास्ति का आदेश यथावत रखा जाता है तथा अपीलान्त को दिये गये 90 दिवस के साधारण सिविल कारावास के दण्ड को निरस्त किया जाता है तथा सजा माफ की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 31-3-2021 को लिखया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।


(डॉ०सूरज सिंह नेगी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर